न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 108 / 2019

प्रार्थी बनाम अप्रार्थी

1 पटवारी, पटवार हल्का सरणू। 1 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 श्री वीरमाराम चौधरी, वकील प्रार्थीगण।
2 तहसीलदार बाडमेर।

आदेश

दिनांक 26.08.21

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि डीआईएलआरएमपी के तहत वृहद अभियान के रूप में तरमीम कार्य चल रहा है, जिसके तहत ग्राम सरणू भीमजी के मूल खसरा संख्या 326 के विभाजित खसरान की तरमीम का लठ्ठा ट्रेस व नामान्तकरण पुश्त से मिलान करने पर खसरा संख्या 556 / 326 की तरमीम में अन्तर पाया गया, जो सहवन से पूर्व पटवारी द्वारा पेंशिल से कर खसरा संख्या 556 / 326 लाल स्याही से अंकित कर दिया गया है। नामान्तकरण की पुश्त पर अंकित खसरा संख्या 556 / 326 की तरमीम विभाजन प्रस्ताव व मौका अनुसार काश्त कब्जा के सही है। खसरा संख्या 556 / 326 की तरमीम को बरंग हरा से प्रदर्शित किया गया है तथा लठ्ठा ट्रेस की प्रमाणित प्रति में विभाजित खसरा संख्या 556 / 326 की तरमीम को बरंग पीला से दर्शाया गया है। कार्यालय जिला कलक्टर (भू. अ.) शाखा बाडमेर में जमा जमाबन्दी संवत 2070–2073 में संलग्न नामान्तकरण संख्या 338 परत की जांच करने पर पुश्त पर विभाजित खसरा संख्या 556 / 326 की तरमीम भी सही है। विभाजित खसरा संख्या 556 / 326 की तरमीम नामान्तकरण संख्या 338 की पुश्त पर अंकित तरमीम अनुसार किये जाने का निवेदन किया।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार बाडमेर को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार बाडमेर से मौके की रिपोर्ट अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में तलब की गई। तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक भू.अ. / 2019 / 6303 दिनांक 20.12.2019 द्वारा प्रतिवेदन इस आशय का उपलब्ध करवाया कि मौजा सरणू भीमजी पटवार हल्का सरणू के मूल खसरा संख्या 326 के खातेदारों के बीच सहमति से भूमि का विभाजन प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प सरणू में तहसीलदार बाडमेर के आदेश क्रमांक 10 / 31 दिनांक 21.12.2010 के आधार पर हुआ, जिसकी पालना में ग्राम सरणू भीमजी का नामान्तकरण संख्या 338 द्वारा किया जाकर दिनांक 24.12.2010 को स्वीकृत हुआ। पटवारी हल्का सरणू के पास उपलब्ध नामान्तकरण संख्या 338 की प्रति परत की पुश्त पर अंकित तरमीम अक्ष में खसरा संख्या 556 / 326 अंकित करते हुए उक्त खसरा में खातेदार धना वगैराह नाम अंकित है, जो मौके व काश्त कब्जा अनुसार सही है। मूल खसरा 326 के अन्य विभाजित खसरा की तरमीम नामान्तकरण संख्या 338 की पुश्त पर अंकित तरमीम अक्ष तथा मौके व काश्त कब्जा अनुसार सही है। इसी तरमीम अक्ष

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

में खसरा संख्या 554/326 की तरमीम अक्ष में खसरा संख्या 695/323 की सीमा पर लाल स्याही से तरमीम अक्ष बनाया गया है, जिसमे कोई खसरा नम्बर अंकित नही है। मौके पर खसरा संख्या 556/326 के खातेदारों द्वारा उपलब्ध ग्राम सरणू भीमजी के नामान्तकरण संख्या 338 परत की प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार (भू.अ) कार्यालय जिला कलक्टर बाडमेर के क्रमांक 2215 जारी दिनांक 27.08.2019 में पुश्त पर अंकित तरमीम अक्ष में खसरा संख्या 556/326 अंकित करते हुए उक्त खसरा में खातेदार धना वगैराह नाम अंकित है, जो मौके व काश्त कब्जा अनुसार सही है। जिसे नक्शा ट्रेस परिशिष्ठ 'बी' में बरंग पीला से दर्शाया गया है। राजस्व अभिलेख नामान्तकरण संख्या 338 की पुश्त पर अंकित तरमीम अक्ष व मौके पर काश्त कब्जा के आधार पर नक्शा ट्रेस परिशिष्ठ 'बी' अनुसार खसरा संख्या 556/326 की तरमीम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों तथा तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका प्रतिवेदन के मेद्दनजर मौजा सरणू भीमजी के मूल खसरा संख्या 326 के विभाजित खसरा संख्या 556/326 के खातेदारों द्वारा उपलब्ध करवाया गया ग्राम सरणू भीमजी के नामान्तकरण संख्या 338 की पुश्त की प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार (भू.अ) कार्यालय जिला कलक्टर कार्यालय के क्रमांक 2215 जारी दिनांक 27.07.2019 के पुश्त पर अंकित तरमीम अक्ष में खसरा संख्या 556/326 अंकित करते हुए उक्त खसरा में खातेदार धना वगैराह के नाम अंकित है जो मौके पर कब्जा काश्त अनुसार सही है, और उसी अनुसार नक्शा ट्रेस परिशिष्ठ 'बी' के अनुसार खसरा संख्या 556/326 की बरंग पीला अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन के मेद्दनजर स्वीकार किया जाकर मौजा सरणू भीमजी के मूल खसरा संख्या 326 के विभाजित खसरा संख्या 556/326 की तरमीम तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस परिशिष्ठ 'बी' के बरंग पीला अनुसार दुरूस्त की जाती है। फर्द मौका के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'बी' आदेश का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में शुद्ध करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 21/09/21 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर